लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शि.क. / सी / 09 / 1040 भोपाल, दिनांक 19-11-09

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :— शिक्षाकर्मियों को परिवीक्षा अवधि की वेतनवृद्धि के संबंध में।

संदर्भ :— संचालनालय का पत्र क्रमांक / शि.कर्मी / सी / 09 / 786 दिनांक 06.10.09।

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा प्रदेश में कार्यरत शिक्षाकर्मियो को तत्समय परिवीक्षा अवधि की वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आज दिनांक तक (उमरिया जिला को छोड़कर) शेष समस्त जिलों से जानकारी अप्राप्त है। यह अत्यन्त खेद जनक स्थिति है। शासन के द्वारा तत्समय शिक्षाकर्मियों को परिवीक्षा अवधि की वेतनवृद्धि की भुगतान की गई राशि का नामवार विवरण सहित जानकारी चाही गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार जानकारी निर्धारित प्रपत्र में शिक्षाकर्मियों के नाम, पदस्थापना / निकाय के नाम सहित जानकारी संकलित कर अपने हस्ताक्षर से विशेष वाहक के माध्यम से संचालनालय के शिक्षाकर्मी कक्ष को दिनांक 25.11.09 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

कृपया चाही गई जानकारी निर्धारित प्रपत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर भिजवाए। यदि निर्धारित समयावधि में आपके द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उसके लिए आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक / शि.क. / सी / 09 / 1041 भोपाल, दिनांक 19-11-09

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके संभाग के जिलों से समन्वय कर जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त संचालक, विधि (स्थानीय) लोक शिक्षण, म.प्र.।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/सी/2009/786 भोपाल, दिनांक 6-10-09

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषयः—शिक्षाकर्मियों को परिवीक्षा अवधि की वेतनवृद्धि के संबंध में।

——0——

प्रदेश में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को नियुक्ति दिनांक के एक वर्ष उपरांत से वेतनवृद्धि दिए जाने हेतु अनेक याचिकाएं तत्समय माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस संबंध मे श्री राघवेन्द्र सोहगरा एव अन्य द्वारा दायर डब्ल्यू.पी. (एस.) 5843/04 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.05 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खण्डपीठ इंदौर, ग्वालियर द्वारा अनेक समरूप प्रकरणों में तत्समय निर्णय पारित किए गए है।

इस संबंध में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालयों में तत्समय दायर की गई डब्ल्यू.पी. याचिकाओं में पारित निर्णय के अनुपालन में जिन जिलों के द्वारा शिक्षाकर्मियों को परिवीक्षा अवधि की वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया है ऐसे शिक्षाकर्मियों की वर्गवार संख्या एवं भुगतान की गई वास्तविक राशि का पूर्ण विवरण का पूर्ण विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ई—मेल/फैक्स क्रमांक 0755—2680024/2586999 पर अथवा विशेष वाहक के हस्ते तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया चाही गई जानकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर भिजवाएं।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/सी/2009/787 भोपाल, दिनांक 6-10-09

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके संभाग के जिलों से समन्वय कर जानकारी अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. संयुक्त संचालक विधि (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.